

3/5/19 पत्रावली आज वकील वादीगण के पार्थना
 पत्र पर तलब ली गई। वकील वादीगण ने
 पार्थना पत्र पर एक नोट निवेदन किया कि उक्त
 वाद में गांव के भीड़ियन लोगों द्वारा शहीदाणा
 काटा दिया गया है। अब वादीगण आपली
 सहमति से वे 2 वाद करेंगे तथा उक्त वाद को
 भविष्य में कभी न्यायालय में नहीं लायेंगे। अतः
 वाद को इती स्तर पर विद्धी किया जावे।
 न्यायहित में वादीगण वकील का पार्थना पत्र
 स्वीकार किया जाता है। वाद में भागे की कार्यवाही
 इती स्तर पर समाप्त ली जाकर वाद विद्धी
 किया जाता है। पत्रावली प्रेषण हुआ है।
 कृपया ध्यान दें।

श्री अमर
 सहायक कलक्टर
 चौहटन

3/5/19
 3/5/19
 रकबा
 3/5/19